प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 730 /एनआरईजीएस–सेल /07–08 लखनऊः दिनांकः 01-05- अप्रैल, 2008

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मस्टर रोल एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 17.04.08 को बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों के खण्ड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में यह संज्ञान में आया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जनपदों में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष मस्टर रोल एवं माप पुस्तिका (एम0 बी0 बुक) कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा निर्गत की जाती है किन्तु कार्य होने के पश्चात अथवा आगामी किश्त की प्राप्ति के पूर्व प्रयुक्त मस्टर रोल एवं अन्य अभिलेख सम्बन्धित विकास खण्ड को उपलब्ध नहीं कराये जाते जिसके कारण कार्यक्रम अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों के पास न तो कोई विवरण उपलब्ध रहता है और न ही परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध होती है।

अतः यह सुनिश्चित कराया जाय कि प्रयुक्त मस्टर रोल अन्य अभिलेखों की प्रतियाँ कार्यक्रम अधिकारियों को अवश्य उपलब्ध कराई जांय। यदि दूसरी किश्त अवमुक्ति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व में निर्गत एवं प्रयुक्त Muster Roll कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा किया जाय।

भवदीय,

Manoj 30.4.08

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

पत्रांकः 730 /एनआरईजीएस–सेल /07–08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
2– महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।
3– समस्त संयुक्त विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– गार्ड फाइल।

(अनुराग यादव)
अपर आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

Shobha